



2026:AHC:129715

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21920 वर्ष 2026

विशाल

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

आशुतोष कुमार मिश्रा, राज बाबू पाठक

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 128/2026, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, थाना गाँधी पार्क, जिला अलीगढ़ में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक इस मामले में मुख्य आरोपी है। उसका एक आपराधिक इतिहास भी है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के खिलाफ दर्ज पिछले मामले में वह जमानत पर है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए बयानों का अवलोकन करने से पता चलता है कि पीड़िता के बयान में कई विरोधाभास हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दिए गए अपने बयान में उसने यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया है। उसने शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी इनकार किया है। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दिए गए उसके बयान से प्रतीत होता है कि पीड़िता और आवेदक चार साल से लंबे समय से संबंध में थे। इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, लंबे समय से चले आ रहे संबंध को विवाह के झूठे वादे पर आधारित नहीं माना जा सकता। आवेदक पूर्व अपराधी नहीं है। आवेदक 6.5.2026 से जेल में है। आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है और आवेदक को अब किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं है। आवेदक के खिलाफ मुकदमे का जल्द ही निष्कर्ष निकलने की संभावना नहीं है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे प्रथम दृष्टया आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

8. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त मामले/अपराध संख्या में शामिल आरोपी-आवेदक **विशाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,)

30 जून, 2026

कृष्णा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।